

**निदेशालय**  
**महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर**

17- फोन :- 0141-2612591, फैक्स : 0141-2612592, ई-मेल : sso1raihg@hotmail.com

18- Website : <http://rajasthanhomeguards.gov.in/>

क्रमांक:गृरमु/प्रशि/टी-1/ 2020/ 12696-738


दिनांक 23/4/2020

**कार्यालय आदेश**

होम गार्डस नियमावली 1962 के नियम-9 के अन्तर्गत इस निदेशालय के परिपत्र क्रमांक 17145-17187 दिनांक 14.09.2017 के द्वारा होम गार्डस स्वयं सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 55 वर्ष के पश्चात शिथिलता प्रदान करने हेतु निर्देश प्रसारित किये थे।

हाल ही में माननीय राज्यपाल के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F-4 (10) Home-/2004Pt. दिनांक 20.11.2019 के द्वारा होम गार्डस नियमावली 1962 के नियम 9 में संशोधन कर महासमादेष्टा को स्वयंसेवको के सदस्यता विस्तार हेतु प्रदत्त अधिकार के प्रावधान को विलुप्त (Delete) कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिणामस्वरूप इस निदेशालय के परिपत्र क्रमांक 17145-17187 दिनांक 14.09.2017 को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

  
23.4.2020

(राजीव दासोत)

महानिदेशक

गृह रक्षा राजस्थान,  
जयपुर।

प्रतिलिपी:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट शासन सचिव, गृह (ग्रुप-7) विभाग, राज0 जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, गृह रक्षा मुख्यालय जयपुर।
3. निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान जयपुर।
4. सीनियर स्टाफ आफिसर-I,II गृह रक्षा, मुख्यालय राजस्थान जयपुर।
5. समस्त गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, राजस्थान।
6. समस्त समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।



महानिदेशक

गृह रक्षा राजस्थान,  
जयपुर।